न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी – श्री पी आर मीना ,आर ए एस
विविध प्रार्थना पत्र : आदेश 39 नियम 2 सी पी सी

उनवान

1. भैरूलाल आत्मज प्यारा जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी भूतेला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा. (राज०)
2. श्री प्यारा आत्मज जोधा जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी भूतेला तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा, (राज०)
3. श्री प्रभू आत्मज प्यारा जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी भूतेला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा, (राज०)
4. श्री नोला आत्मज जोधा जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी भूतेला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा. (राज०)
5. मु० कंकू पत्नि प्यारा जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी भूतेला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा, (राज०)
6. मु० देऊ पत्नि नेनू जाति बलाई आयु वयस्क निवासी भूतेला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा. (राज०)
7. मु० हगामी पत्नि नोला जाति बलाई आयु वयस्क निवासी भूतेला तहसील सहाडा जिला भीलवाडा, (राज०)
8. श्री किशोर आत्मज जालु जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी भूतेला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा. (राज०)
9. श्री बोथू आत्मज किशोर जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी भूतेला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा, (राज०)
10. श्री चन्दू पिता नैना जी जाति बलाई आयु वयस्क निवासी भूतेला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा, (राज०)

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्री डालचन्द आत्मज उदयलाल जी जाति सालवी आयु व्यस्क निवासी भूतेला तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा, (राज०)

– प्रत्यर्थी

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, **गंगापुर**
के प्रकरण संख्या 73 / 2007 निर्णय दिनांक 17.12.2019
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर 39 रूल 2 सी पी सी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अभिभाषक :

1. श्री मांगी लाल सेन, अधिवक्ता प्रत्यर्थी प्रार्थी
2. श्री प्रत्यर्थीगण अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 16.2.2026

1. प्रत्यर्थी संख्या 1 /प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) जाब्ता दीवानी दिनांक प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात राजस्व ग्राम भूतेला तहसील सहाड़ा पटवार क्षेत्र चावण्डिया जिला भीलवाड़ा में स्थित हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैंरू–

आराजी संख्या	रकबा
463	0.19 हे०
473	0.20 हे0
474	0.21 हे०
475	0.21 हे०
कुल किता 4 कुल रकबा	0.81 हे०

जो राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकारों से दर्ज रेकार्ड है।

2. प्रार्थना पत्र की संख्या 1 एक में वर्णित आराजियात मु० केशी बेवा किशना जी कौम बलाई के खातेदारी अधिकारों की थी। जिसे प्रार्थी ने 38,900/– अक्षरे अड़तीस हजार नौ सौ रूपये के प्रतिफल में क्रय की तथा दिनांक 06.06.2003 को मु० केशी ने विक्रयपत्र का निष्पादन प्रार्थी के पक्ष में करवाकर उप पंजीयक सहाड़ा के समक्ष रजिस्टर्ड करवाया एवं प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरणकरण 76 दिनांक 20.12.2003 पारित हुआ एवं प्राथी का नाम राजस्व अभिलेखों में बहैसियत खातेदार दर्ज हुआ। उक्त आराजियात पर पूर्व में तन्हा मु० केशी का कब्जा था, जिसने दिनांक 06.06.2003 को उक्त आराजियात का कब्जा प्रार्थी को सिपुर्द कर दिया। तब से ही प्रार्थी तन्हा कब्जे में है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

3. विपक्षीगण वाद ग्रस्त आराजियात में प्रार्थीध्वादी के कब्जे काप्त में व्यवधान पैदा करने पर आमादा है व प्रार्थी की फसल में जबरन प्रविष्ट होकर उसे नष्ट कर देते हैं। जिससे प्रार्थी ने न्यायालय आपमें एक वाद अंतर्गत 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र 212 काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। जिसके प्रकरण संख्या 129/04 हैं, जो दिनांक 14.03.2005 को न्यायालय फैसल कर दिया गया। जिससे न्यायालय आप द्वारा ताफैसला वाद विपक्षीगण को पाबंद कर रखा हैं कि प्रार्थी के कब्जे कारत में व्यवधान पैदा नहीं करें। जिसकी विपक्षीगण को जानकारी हैं।

4. विपक्षीगण ने अवैध गिरोहबना रखा एवं पूर्व में न्यायालय के आदेश की अवहेलना में एक माह का कारावास हो चुका हैं। लेकिन विपक्षीगण दिनांक 01.10.2007 को अनाधिकृत रूप से प्रार्थी की आराजी में प्रविष्ट हुए व प्रार्थी की फसल जिसमें ज्वार, चारे की मूंगफलियां व तिल्ली को जबरन काट कर ले गये। प्रार्थी ने कहा तो भी विपक्षीगण नहीं माने व कहां ऐसे कोर्टों के आदेश को हम नहीं मानते हैं। तेरे करना हैं जो करले एवं विपक्षीगण के उक्त कृत्य से प्रार्थी को 10,000/—रूपये का नुकसान हुआ हैं।

5. विपक्षीगणों का उक्त कृत्य न्यायालय के आदेश की अवहेलना में आता हैं। विपक्षीगण अनाधिकृत प्रार्थी के खेत में प्रवेश हुए न्यायालय के स्वगन आदेश को नहीं माना हैं। जिससें न्यायालय हाजा के आदेश पालना सुनिश्चित करना आवश्यक एवं न्यायोचित हैं। विपक्षीगणों की चल अचल सम्पति कूर्क की जावें व सिविल काश्तकार में निरूद्ध किया जावें।

6. अतः निवेदन हैं कि विपक्षीगण की चल अचल सम्पति को कूर्क की जावें व सिविल कारावास में निरूद्ध किया जावें ताकि बार—बार न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं करें।

7. अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। एवं बाद विचारण निर्णय दिनांक 17.12.2019 द्वारा स्वीकार करते हुए 7 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिससे व्यथित होकर यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

8. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी गई।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता नें अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनिवेदन किया कि उक्त अनवान प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने यहाँ दर्ज प्रकरण संख्या 73/2007 का निर्णय दिनांक 17.12.2019 को पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को हाल ही में 15.03.2020 को अपने अधिवक्ता से तारीख पेशी के लिए आकर सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि इसका निर्णय दिनांक 17.12.2019 को हो चूका है जिससे अपीलार्थी भैरूलाल ने दिनांक 18.03.2020 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल आवश्यक में दिनांक 18.03.2020 को ही प्राप्त कर ली. प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से अपील तैयार करने हेतु निर्णय व दस्तावेज दिनांक 20.03.2020 को दे दिये उसके पश्चात् कॉरोना कोविड–19 की वजह से राजस्थान में लॉकडाउन होने से दिनांक 31.05.2020 तक न्यायालय बन्द होने से अपील प्रस्तुत नही हो पायी जो हाल ही में दिनांक 01.06.2020 को न्यायालय खुलते ही यह अपील जानकारी दिनांक 18.03.2020 से अन्दर अवधि 60 साठ दिन में अपील प्रस्तुत की जा रही है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 17.12.2019 की जानकारी दिनांक 18.03.2020 से अन्दर अवधि 60 साठ दिन में प्रस्तुत है इसलिए अपील को प्रस्तुत करने में हुऐं विलम्ब को क्षम्य किया जाने हेतु दिनांक 17.12.2019 से दिनांक 3.05.2020 तक हुऐं विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील को मियाद में शुमार किया जाने हेतु यह दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का यह आवेदन प्रस्तुत है जो स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षम्य किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामला अचल सम्पति का होकर कृषि जायादाद का होकर न्यायालय की अवमानना का करार दिया जाकर सिविल कारावास की सजा जैसा कठोर एंव दण्डात्मक निर्णय पारित किया है जिससे अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत है अतः अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाने हेतु यह आवेदन पेश है।

12. अपीलार्थीगण ने जानबूझकर विलम्ब कारित नही की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया था वह सद्भाविक है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

13. अतः निवेदन है कि अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय दिनाक 17.12.2019 से निर्णय की जानकारी दिनांक 18.03.2020 तक से अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 31.05.2020 के विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाकर अपील को मियाद में शुमार की जावें ।

14. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य एंव रेकॉर्ड का विधि विरूद्ध विश्लेषण कर सिविल कारावास जैसा कठोर निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने लायक है।

15. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) में प्रत्यर्थी संख्या 01 एक ने अपीलार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी की और से प्रस्तुत रेकॉर्ड व साक्ष्य एंव इसके खण्डन में विपक्षीगण की और से प्रस्तुत साक्ष्य व रेकॉर्ड का अवलोकन किये बिना ही विधिवत् विश्लेषण किये बिना ही विधिविरूद्ध निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने लायक है।

16. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 (ए) जा०दी० बाबत् आदेश दिनांक 30.07.2004 की अवहेलना जिसमें दिनांक 19.10.2014 को अनाधिकृत रूप से प्रविष्ट कर फसल को चूराने व नुकसान कर अवज्ञा की जिसके लिए न्यायालय ने अवमानना का दोषी ठहराया जाकर दण्ड़ित करने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है. इस बाबत् अपीलार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान् द्वारा पारित यथास्थिति के आदेश दिनांक 30.07.2004 की कोई अवज्ञा व अवमानना नहीं की है. बल्कि प्रार्थी ने झुंठी व मनगडन्त रिर्पोट अंकित कराई है क्योंकि इस बाबत् प्रार्थी ने विपक्षीगण अपीलार्थीगण के विरूद्ध थाना गंगापुर में अपराध धारा 147, 447, 427, 379 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराई जिसमें प्रथम सूबना रिर्पोट संख्या 332/2004 दर्ज हुई जिसमें अनुसंन्धान किया गया जिसमें धारा 379 को हटाई जाकर अपीलार्थीगण के विरूद्ध धारा 147, 447. 427 भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रकरण दर्ज हुआ जिसका विचारण वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एंव अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय द्वारा किया जाकर उक्त घटना को गलत व झुंठी मानते हुऐं अपीलार्थीगण विपक्षीगण को अपने निर्णय दिनांक 24.04.2015 को दोषमुक्त कर दिया है जिसके निर्णय से ही पूर्णतया स्पष्ट हो चूका है कि उक्त घटना गलत व झुंठी है, उसी घटना को आधार बनाकर यह प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत आदेश 39 नियम 2(ए) का प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही है इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गलत व सिविल न्यायालय एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के निर्णय दिनांक 24.04.2015 की अनदेखी कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने लायक है, निर्णय दिनांक 24.04.2015 की प्रति संलग्न है ।

17. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी प्रत्यर्थी संख्या 01 एक द्वारा अपने स्वंय के बयान के अलावा ग्राम भूतेला के किसी गवाह के बयान नहीं कराये व न ही उक्त भूमि के आस–पास के पड़ौसीयान के बयान कराये, केवल मात्र ग्राम पालरा का नारायण आत्मज डालचन्द बलाई को प्रस्तुत किया जो कि स्वंय प्रार्थी का जायन्दा पुत्र है जिसे स्वतन्त्र गवाह नहीं माना जा सकता है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा गवाह नारायण आत्मज डालचन्द को स्वतन्त्र गवाह के रूप में मानने की व्याख्या करते हुऐं स्वतन्त्र गवाह मानकर विधि विरूद्ध निर्णय पारित कर विपक्षीगण के विरुद्ध 7 सात दिन की सिविल कारावास की सजा जैसा कठोर निर्णय पारित किया है अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय गलत व त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त होने लायक है।

18. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि विवादित आदेश सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.2019 को पारित किया गया जिसकी अपील की सुनवाई का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को प्राप्त होने से अपील श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

19. अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण की स्वीकार फरमाई जा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 17.12.2019 को निरस्त कराया जाकर सिविल कारावास की सजा माफ कराई जावे।

20. हमनें अधिवक्ता अपीलार्थीगण की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करनिवेदन किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

कि उक्त अनवान प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने यहाँ दर्ज प्रकरण संख्या 73/2007 का निर्णय दिनांक 17.12.2019 को पारित किया गया जिसकी जानकारी अपीलार्थीगण को हाल ही में 15.03.2020 को अपने अधिवक्ता से तारीख पेशी के लिए आकर सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि इसका निर्णय दिनांक 17.12.2019 को हो चूका है जिससे अपीलार्थी भैरूलाल ने दिनांक 18.03.2020 को नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसकी नकल आवश्यक में दिनांक 18.03.2020 को ही प्राप्त कर ली. प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से अपील तैयार करने हेतु निर्णय व दस्तावेज दिनांक 20.03.2020 को दे दिये उसके पश्चात् कॉरोना कोविड–19 की वजह से राजस्थान में लॉकडाउन होने से दिनांक 31.05.2020 तक न्यायालय बन्द होने से अपील प्रस्तुत नही हो पायी जो हाल ही में दिनांक 01.06.2020 को न्यायालय खुलते ही यह अपील जानकारी दिनांक 18.03.2020 से अन्दर अवधि 60 साठ दिन में अपील प्रस्तुत की जा रही है।

21. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रस्तुत अपील निर्णय दिनांक 17.12.2019 की जानकारी दिनांक 18.03.2020 से अन्दर अवधि 60 साठ दिन में प्रस्तुत है इसलिए अपील को प्रस्तुत करने में हुऐं विलम्ब को क्षम्य किया जाने हेतु दिनांक 17.12.2019 से दिनांक 3.05.2020 तक हुऐं विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील को मियाद में शुमार किया जाने हेतु यह दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का यह आवेदन प्रस्तुत है जो स्वीकार किया जाकर विलम्ब को क्षम्य किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

22. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि मामला अचल सम्पति का होकर कृषि जायादाद का होकर न्यायालय की अवमानना का करार दिया जाकर सिविल कारावास की सजा जैसा कठोर एंव दण्डात्मक निर्णय पारित किया है जिससे अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित किया जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत है अतः अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाने हेतु यह आवेदन पेश है।

23. अपीलार्थीगण ने जानबूझकर विलम्ब कारित नही की है। अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का जो कारण अंकित किया था वह सद्भाविक है।

24. अतः निवेदन है कि अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का स्वीकार फरमाया जाकर निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

दिनाक 17.12.2019 से निर्णय की जानकारी दिनांक 18.03.2020 तक से अपील प्रस्तुत करने की दिनांक 31.05.2020 के विलम्ब को क्षम्य किया जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाकर अपील को मियाद में शुमार की जावें ।

25. प्रत्यर्थी की ओर से रिबटल में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया । जिससे अपीलार्थीगण द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक है। अतः न्यायहित में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

26. पत्रावली पर उपलब रेकार्ड का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं निर्णय का मिलान एवं अध्ययन किया गया । बहस के तथ्यों का मनन किया गया । रेकार्ड अनुसार अनाधिकृत रूप से निषेध क्षेत्र में प्रवेश किया गया या नहीं किया गया । रेकार्ड पर अधिकृत कोई रिपोर्ट नहीं है। न ही कोई स्वंत्र ठोस गवाह लिया गया । वर्तमान में सिविल न्यायालय द्वारा भी प्रकरण से संबंधित कार्यवाहियों पर दोषमुक्त कर दिया गया है। सिविल कारावास की सजा ठोस तथ्यों एवं साक्ष्यों परआधारित होनी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर इस प्रकार के ठोस तथ्यों का अभाव पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नहीं है।

आदेश

27. अतः प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्याालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक17.12.2019 को निरस्त किया जाता है।

28. आदेश आज दिनांक 16.2.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(पी आर मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा